

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री प्रदीप उराँव पिता- गणेश उराँव , ग्राम- हेज़्दा , थाना- पिपरवार जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- हेज़्दा, थाना- बालुमथ जिला- चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 94 (रैयती भूमि एवं गैरमजरुआ खास) खाता सं. 45 एवं 37 के अधीन प्लॉट सं. 214/551, 103 एवं 282 कुल रकबा - 02.05 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- हेज़्दा , थाना- पिपरवार जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- हेज़्दा , थाना- पिपरवार जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं: 94 (रैयती भूमि एवं गैरमजरुआ खास) प्लॉट सं. 214/551,103 एवं 282 कुल रकबा - 02.05 एकड़ भूमि के तहत श्री प्रदीप उराँव पिता- गणेश उराँव , ग्राम- हेज़्दा , थाना- पिपरवार जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- हेज़्दा , थाना- पिपरवार जिला - चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।

3/1/22
G. Ee. 22